न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 1077/2017

वादी	प्रतिवादी
रामसिंह पुत्र प्रभुसिंह गहलोत जाति रावणा राजपुत निवासी सोजत रोड हाल हाउसिंग बोर्ड ब्यावर जिला अजमेर राज	सरकार जरिये तहसीलदार(भूमि धारक)सोजत,

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136,125 व 129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री महेशनारायण औझा एवं श्री गजेन्द्र परिहारअधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. श्री सुरेशशर्मा तहसीलदार (भूमिधारी), सोजत प्रतिवादी

—:निर्णयः— दिनांक 25.02.2019

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रति0 अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, 125 व 129 राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है है कि वादी भुतपुर्व सैनिक है,जो 691013271 बटालियन बी.एस. एफ.में रहते हुए स्थायी रूप से विकलांग है व राजस्व विभाग के आदेया कमांक सी.एस./एल. आर.एस.एस.बी 65/ दिनाक 20/09/1965 के तहत वादी को 25 बीघा असिंचित भूमि ग्राम मालपुरिया में आवटित की गई, जिसका आदेश दिनांक 06/09/1975 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के द्वारा जारी किया गया। उक्त आवंटन के पश्चात जमाबंदी सांमत 2031 से 2034 में नोट लगाया गया व नोट के अन्तर्गत खसरा नबंर 85 रकबा 25 बीघा लगान 12. 50 पैसै जिसके नवीन खसरा नंबर 85/7 वादी को ऐलोट किए जाने का उल्लेख है, जिसकी नकल संलग्न पत्रावली है। उसके बाद वादी द्वारा लगान जमा कराया जिसकी रसीदे संलग्न पत्रावली है। वादी अपंग होने की वजह से बाहर ब्यावर शिफ्ट हो गया व भू राजस्व अधिकारी व सेटलमेन्ट विभाग में वादी को बगैर सुने, बगैर सुचित किये गलत रूप से वादी का नाम हटा दिया गया व गैर कानूनी रूप से वादी को आवंटित की गई भूमि से वादी को वंचित करने की नियत से गलत कार्यवाही की गई । जबकि वादी एक अपाहिज भूतपुर्व सैनिक है। राजस्व अधिकारीयों की गलती व सैटलमेंट विभाग की गलती की सजा वादी को नही दी जा सकती। वादी का नाम राजस्व अधिकारीयों द्वारा गलत रूप से हटाया गया, जिसके विरूद्ध यह वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया है। वादी पैरो से लाचार होने की वजह से उक्त कृर्षि भूमि के बारे में जानकारी हासिल करने हेतु सूचना के अधिकार के तहत प्रतिवादी के यहा उक्त कृर्षि भूमि की आज की स्थिती की जानकारी हेतु सूचना मागी गई । परन्तु सक्षम अधिकारी के द्वारा सही सुचना नही दी गई व न आज की सही स्थिती कि जानकारी वादी को दी गई जिसकी अपील भी वादी के द्वारा श्रीमान के यहां प्रस्तुत की जा चुकी है। वादी भूतपुर्व सैनिक व अंपग होने की वजह से ज्यादातर अपने पैरों के ईलाज इधर उधर व्यस्त रहा व जैसे ही वादी ने उक्त कृर्षि भूमि बाबत् सूचना सक्षम अधिकारी के द्वारा नहीं दिये जाने के बाद यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। खसरा नबंर 85 व 85/7 जिसके है

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि जो कि वादी को सक्षम अधिकारी के द्वारा आवंटित कि गई है जिस कृषि भूमि मे वादी का नाम भी जमाबंदी मे अंकित किया गया है जो सेटलमेन्ट विभाग व राजस्व अधिकारियो द्वारा गलती से हटा दिया गया है उक्त कृषि भूमि वादी के नाम घोषित किये जाने हेतु विरूद्ध प्रतिवादी धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि जो सरहद मालपुरिया कला मे आई हुई है, जिसके पुराने खसरा नंबर 85 व 85/7 है, उक्त कृषि भूमि मे राजस्व अधिकारीयो द्वारा वादी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है। उक्त नाम वापस रेवेन्यू रेकर्ड मे जोडे जाने हेतु वाद विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि की आज की स्थिति के बाबत जानकारी प्रतिवादी से मांगी गई, परन्तु नही दिये जाने के कारण से आल कि मौजूदा स्थिति के बारे मे वादी को कोई जानकारी नही है, वादी को उक्त जानकारी दिलाई जाकर उक्त खसराजात की भूमि वादी के नाम रेवेन्यू रेकर्ड मे दर्ज फरमाकर उसका कब्जा वादी को दिलाये जाने हेतु वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया है। बिनाय दावा तारिख 20.06.2017 को वादी को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नही मिलने के कारण व नकले प्राप्त होने पर पैदा हुआ, जो अंदर म्याद है। वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136,125 व 129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का होने से उस पर नियत उचित कोर्ट फीस स्टाम्प नियमानुसार पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मालपुरियाकला तहसील सोजत में होने से वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार राजस्व वाद मय शपथ- पत्र एवं दस्तावेजात एवं धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा मालपुरिया में खसरा नम्बर 85 व 85/7 रकबा 25 बीघा की कृषि में वादी का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड में जोडे जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे कि उक्त कृषि भूमि जिसके खसरा नंबर 85 व 85/7 व नये खसरा नंबर 99 रकबा 25 बीघा की भूमि वादी के नाम घोषित कराये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें। खसरा नम्बर 85 व 85/7 रकबा 25 बीघा की भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादीर फरमाई जाने तथा स्थाई निषेधाषा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादीर फरमाई जाने कि बाद दिलाये जाने कब्जा उक्त कृषि भूमि में वादी के उपभोग, उपयोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे व न ही किसी अन्य सख्स से करावे। दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को रोका जाकर पाबन्द किया जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद अन्तर्गतधारा 88 आर.टी.एक्ट, 1955 तथा धारा 136, 129 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित आए। तहसीलदार,सोजत ने दिनांक 10.10.2017 को ज0दा0 बिन्दु संख्या 1 से 12 का पृथक पृथक पेश किया, सा0मि0 है। दिनांक 23.01.2018 को तनकियात 1 से 5 कायम की गई, विवेचित की जाकर पत्रावित की गई, सा.मि. है। अधिवक्तावादी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न फहरिश्त मय दस्तावेजात नकल ढाल बांध तथा नकल गिरदावरी सम्वत् 2034 की प्रमाणित प्रतिलिपि फहरिश्त मय दस्तावेज के संलग्न शहादत वादी पी.डब्ल्यु-1 रामसिंह का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 17.04.2018 को पेश किया, सा0मि0 किया गया। शपथ-पत्र में उल्लेख किया कि वादी का नाम रामसिंह पुत्र प्रभुसिंह आयु 67 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड ब्यावर वादी भूतपुर्व सैनिक है। जिसके नम्बर 6910133271 बटालियन बीएसएफ रहते हुये स्थाई रूप से विकलांग है जो वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विकलांग हुआ है। राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक/सीएस/एल आर/ एस एस बी 65 दिनांक 20.09.1965 के तहत उस 25 बिघा असिंचित भूमि ग्राम मालपुरिया कला में आंवटित की गई, का आदेश दिनांक 06.09.1975 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा जारी किया गया। जमाबंदी सम्वत 2031-34 में नोट लगाया गया के अन्तर्गत खसरा नम्बर 85 रकबा 25 बीघा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

1250 रूपये जिसके नवीन खसरा नम्बर 85/7 उसे आंवटित किये गये की नकल तथा तत्पश्चात जमा करवाये गये दो वर्ष की बिघोडी की रसीदे पत्रावली पर मौजुद है। वादी अपग होने की वजह से ब्यावर जाकर बस गया व उसके पिता का देहान्त भी हो चुका था। मगर उसे बिना सुचना दिये तत्कालीन भू0राजस्व अधिकारी एवं सेटलमेन्ट विभाग ने उसे उक्त आवंटित भूमि से वंचित करने की नियत से उसका नाम हटवा दिया , के कारण उक्त वाद प्रस्तुत करना पडा। वादी पैरो से लाचार होने की वजह से उक्त कृषि भूमि के बारे में आज की स्थिति हेतु जानकारी चाहे जाने पर अर्थात सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा आज तक कोई सूचना नही दि गई है व गलत सूचना दी जा रही है। खसरा नम्बर 85/7 एवं नया खसरा नम्बर 99 की कृषि भूमि जो वादी को आवंटित की गई है, उक्त जमीन वादी के नाम वापस घोषित किये जाने की डिक्री पारित करावे अर्थात उक्त खसराजात की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में पूनः वादी का नाम जोडा जावे। सरहद ग्राम मालपुरिया कंला के खसरा नम्बर 85, 85/7 एवं नये खसरा नम्बर 99 के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम अमल दरामद कर उक्त कृषि भूमि का कब्जा वादी को दिलवाये जाने तथा वादी के कब्जाकाश्त उपयेग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी एवं अन्य को रोका जावे। पहुचाई जावें। दिनांक 10.10.2017 को प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा सामिल मिसल है। दिनांक 23.01.2018 को तनकीयात संख्या 1 से 6 कायम की गई। तहसीलदार सोजत को न्यायालय हाजा पत्रावली कोर्ट/19/33 दिनांक 16.01.2019 एवं स्मरण पत्रांक/कोर्ट/2019/92 दिनांक 04.02.2019 द्वारा विवादग्रस्त भूमि की बरूवै रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण पश्चात राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, सोजत पत्रांक/भू0अ0/2019/376 दिनांक 14.02.2019 द्वारा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड की प्रस्तुत रिपोर्ट मय पटवारी हल्का मालपुरिया कंला की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2019 सा0मि0 की गई। उक्त रिपोर्टानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मेंव वादी के नाम कोई भूमि नही होना, वादी द्वारा उपलब्ध करवाये गये खसरा मिलान में अंकित है। पुराने खसरा नम्बर में कौन से नये नम्बर बने हुए है का उल्लेख नही है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड की बाद जॉच प्रस्तुत वस्तुस्थिति अनुसार उक्त प्रकरण में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम कोई भूमि नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्वेजानुसार ग्राम मालपुरिया कंला की खसरा नम्बर 85 रकबा 107 बिघा 12 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में सें रकबा 25 बिघा किस्म बारानी द्वितीय का आवंटन हुआ। जिसका जमाबन्दी संवंत् 2031–2034 में खसरा नम्बर 85/7 देने का नोट लगा हुआ है। वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये खसरा मिलान में नये खसरा नम्बर का उल्लेख नही है। लट्ठा ट्रेस दिनांक 29.05.2017 को जारी में 85/7 की तरमीम नही है। राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की वर्तमान वस्तुस्थिति रिपोर्ट सा0मि0 की गई है।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादी भूतपूर्व सैनिक बी.एस.एफ. बटालियन संख्या 691013271 में रहते हुए स्थाई रूप से विकलांग है। जिसे राजस्व विभाग के आदेश कमांक/सी.एस.के/एल.आर.एस.एस.वी. 65 दिनांक 20.09.1965 को 25 बीघा अंसिचित भूमि मौजा मालपुरिया कंला में आंवटित की गई जिसका आदेश श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली के आदेश कमांक/न्याय/सें.क./17416 दिनांक 02.01.1975 द्वारा आंवटित की गई जिसे उप खण्ड अधिकारी, सोजत के आदेश कमांक/एफ/12/भू.आंवटन/9/75/688 दिनांक 6 नवम्बर 1975 द्वारा संपुष्ट किया जाकर भूमि आवंटन की गई। उप खण्ड अधिकारी सोजत ने तहसीलदार सोजत को आंवटी को शीघ्र कब्जा सुपुर्द दिलवाने हेतु आदेशित किया गया । उक्त आदेशों की पालना में जमाबन्दी संवंत 2021 से 2024 में आवंटन का इन्द्राज कर आवंटी को खसरा नम्बर 85/7 दिये गये । रामसिंह वादी द्वारा बिघोडी (लगान) व ब्याज के कुल 12.90 रूपये रसीद संख्या 004407/000019 तथा 004155/000021 द्वारा जमा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

गई। ढाल बाछ सम्वत् 2039 सन् 1976-77 चौसाला गिरदावरी सम्वत् 2031 - 34 खसरा नम्बर 85 रकबा 107 बीघा 121 बिस्वा मे से कॉलम संख्या 24 में 25 बीघा भूमि रामसिंह को आवंटन होने का इन्द्राज है का कॉलम संख्या 41 में अन्य काश्तकारों /व्यक्तियों के रकबा 65 बीघा के साथ 25 बीघा रामसिंह की भूमि जोडते हुये कुल 90 बीघा का इन्द्राज है, से आवंटित की संपुष्टि होती है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने मौजा मालपुरियाकंला में खसरा नम्बर 85 मे 85/7 खसरा नम्बर दिये जाकर किये गये अंकन की 25 बीघा नये खसरा नम्बर 99 में आंवटित भूमि मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी तथा अन्य को दखलन्दाजी से रोके जाने की ईश्तदुआ की है। कायम तनकियात संख्या 1 से 6 का निम्नांकित रूप से विवेचन /विश्लेषण किया जाता है:-

तनकी संख्या 01 - आया- भू0पू0 सैनिक है जो विकलांक है। दिनांक 20.09.1965 को 25 बीघा जमीन वादी को आवंटित की गई। - जिम्मे वादी

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विर्णित तथ्यों, दस्तावेजात राज्य सरकार / जिला कलक्टर महोदय, पाली। कार्यालय द्वारा जारी आवटन आदेशों तथा वादी के स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ - पत्र तस्दीक सुदा दिनांक 07.03.2018 से बखूबी प्रमाणित है कि वादी भूतपुर्व सैनिक वर्ष 1971 में विकलांग होने से भूमि आवंटित हुई है। जिससे तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 - आया - खसरा नम्बर 85 रकबा 25 बीघा व जमीन खसरा नम्बर 85/7 वादी को एलॉट के बाद लगान कराया गया। - जिम्मे वादी

वादी के नाम राज्य सरकार अर्थात राजस्व/न्याय विभाग से आदेश जारी होकर वादी भूतपुर्व सैनिक होने से मौजा मालपुरियाकंला की खसरा नम्बर 85 रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में सें 25 बीघा भूमि वादी रामसिंह को आंवटित हुई। जिसका जमाबन्दी सम्वत 2031 से 34 में अंकन, चौसाला गिरदावरी, आदि में आवंटन का इन्द्राज होकर नोट लगाया गया तथा आंवटित भूमि के खसरा नम्बर 85/7 प्रदत्त किये गये। तत्पश्चात पुर्वोक्त रसीदों के जरिये वादी द्वारा लगान जमा करवाया जाना संपुष्ट होता है प्रतिवादी द्वारा उक्त किये गये आवंटन के निरस्त होने अथवा अन्य भिन्नप परिस्थितियों के दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किये है। लिहाजा फलस्वरूप तनकी संख्या 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 - आया - वादी अपंग होने की वजह से भू0राजस्व अधिकारियों द्वारा व सैटलमेंट विभाग द्वारा वादी को सुने बिना वादी का नाम गलत रूप से हटा दिया जिसको वादी वापस जुडवाने का अधिकारी है। - जिम्मे वादी

वादी का भूतपूर्व सैनीक होना बी.एस.एफ. बटालियन संख्या 691013271 में सेवारत रहते हुये भारत पाक युद्ध 1971 क दौरान विकलांग होना, प्रस्तुत तस्दीकसुदा शपथ पत्र एवं आवंटन आदेशों द्वारा उक्त भूमि आंवटन किये जाने के तथ्य बखूबी स्वतः सिद्ध है कि वादी देश रक्षा में तैनात रहते हुये विकलांग हुआ है। जिसका कोई खण्डन भी नही हुआ है। बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पत्रावली में रेकर्ड पर है। वस्तुतः वादी का नाम जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, लगान अदायगी की रसीदों तथा पूर्वोक्त राज्य सरकार / जिला कलक्टर महोदय पाली / कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा जारी आंवटन आदेशों में किये गये अंकनों / इन्द्राजातों के अनुसार वादी को खसरा नम्बर 85 की भूमि में सें 25 बीघा बारानी द्वितीय भूमि का आवंटन होकर खसरा नम्बर 85/7 दिये जाकर अंकित है। तत्पश्चात् आगे के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम गलत रूप से हटा दिया गया है, जिसका अंकन पूनः बतौर गैर खातेदार के रूप में वादी दर्ज करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी चूकि अन्य किसी प्रकार के खण्डनीय दस्तावेजात पेश नही किये

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

से आंशिक रूप से तय की जाती है। तथापि खसरा नम्बर 85 रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा में से वादी (आंवटी) को प्रदत्त खसरा नम्बर 85/7 तथा वर्तमान में दिये गये नये खसरा नम्बर में अन्य राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम आवंटित भूमि के वास्तविक आवंटित खसरा नम्बर 85/7 एवं आगे के नये खसरा नम्बर का राजस्व रेकॉर्ड में (विस्तृत रूप से आवंटन से पूर्व /पश्चात के राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबन्दी/ मिसलबन्दी/ मिलान खसरा/ नामान्तरकरण/ आवंटन आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां जिला कार्यालय / तहसील कार्यालय से समस्त रेकॉर्ड की नकले विशेष वाहक भेजकर मंगवाकर) जमाबन्दी में खसरा नम्बर 85/7 की दर्शित भूमि का उक्त भूतपूर्व सैनिक वादी को कब्जा दिलवाये जाने की चाराजोही करने पर नियमानुसार कार्यवाही कर तहसीलदार सोजत को न्यायालय हाजा में पालना रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा उक्त तनकी संख्या 3 आंशिक रूप से बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 – आया – सरहद मालपुरिया कलां में खसरा नम्बर 85 व 85/7 की कृषि भूमि 25 बीघा वादी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी

तनकी संख्या 3 की विवेचना/विश्लेषणानुसार वादी खसरा नम्बर 85 में से 87/7 खसरा नम्बर की 25 बीघा भूमि के आवंटन का जमाबन्दी आदि राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राजात होने से वादी का गैर खातेदार के रूप में पून इन्द्राज किये जाने के अधिकारी है। लिहाजा उक्त तनकी संख्या 4 आंशिक रूप से बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 – आया – तदानुसार वादी द्वारा खसरा नम्बर 85, 85/7 का रकबा प्राप्त करने का अधिकारी है। – जिम्मे प्रतिवादी

वादी तनकी संख्या 3 व 4 मे की गई विवेचना / विश्लेषणानुसार खसरा नम्बर 85/7 से संबद्ध भूमि का गैर खातेदार के रूप में अंकन करवाने का अधिकारी है तथापि उक्त भूमि का मौके पर कब्जा नही होने से कब्जा दिलवाये जाने की अनिवार्यता मय वादी द्वारा पृथक से चाराजोही करने पर कार्यवाही कर आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी (वादी) को दिलवाये जाने की पृथक कार्यवाही हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया है, के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित हो। लिहाजा उक्त तनकी भी आंशिक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या एक व दो बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तथा 3 से 5 आंशिक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय किये जाने से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाना, वादी का नाम पुनः खसरा नम्बर 85 में से 85/7, / यथोचित नये खसरा नम्बर देकर 25 बीघा भूमि में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है। तत्पश्चात तनकी संख्या 3 से 5 में की गई विवेचनानुसार पृथक से चाराजोही करने पर वादी को उक्त भूमि का कब्जा दिलवाये जाने तथा प्रावधानानुरूप खातेदारी अधिकार दिलवाये जाने की कार्यवाही की जाने हेतु भी तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। आंशिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा मालपुरिया कंला की खसरा नम्बर 85 रकबा 107 बिघा 12 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में से वादी को आंवटित भूमि खसरा नम्बर 85/7, / यथोचित नये खसरा नम्बर देकर रकबा 25 बीघा की भूमि का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते है। तत्पश्चात तनकी संख्या 3 से 5 मे की गई

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

नानुसार पृथक से चाराजोही करने पर वादी को उक्त भूमि का कब्जा दिलवाये जाने था प्रावधानानुरूप खातेदारी अधिकार दिलवाये जाने की कार्यवाही की जाने हेतु भी तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद / अन्य निर्देशित कार्यवाही की जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तीब किया जाकर सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे। तहरीर की पृष्ठांकित प्रति के साथ उक्त निर्णय की प्रति भूतपुर्व सैनिक वादी को जरिये डाक प्रेषित की जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयुब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अयुब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1077 / 2017

वादी	प्रतिवादी
रामसिंह पुत्र रघुसिंह गहलोत जाति रावणा राजपूत निवासी सोजत रोड हाल हाउसिंग बोर्ड ब्यावर जिला अजमेर राज	सरकार जरिये तहसीलदार(भूमि धारक)सोजत,

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136,125 व 129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता श्री महेशनारायण औझा एवं श्री गजेन्द्र परिहारअधिवक्तागण वादी तथा श्री सुरेशशर्मा तहसीलदार (भूमिधारी), सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिकी किया जाता है। आंशिक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा मालपुरिया कंला की खसरा नम्बर 85 रकबा 107 बिघा 12 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में से वादी को आंवटित भूमि खसरा नम्बर 85/7, / यथोचित नये खसरा नम्बर देकर रकबा 25 बीघा की भूमि का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते है। तत्पश्चात तनकी संख्या 3 से 5 में की गई विवेचनानुसार पृथक से चाराजोही करने पर वादी को उक्त भूमि का कब्जा दिलवाये जाने तथा प्रावधानानुरूप खातेदारी अधिकार दिलवाये जाने की कार्यवाही की जाने हेतु भी तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद / अन्य निर्देशित कार्यवाही की जावे। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ निर्णय एवं डिकी पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे। तहरीर की पृष्ठांकित प्रति के साथ उक्त निर्णय की प्रति भूतपूर्व सैनिक वादी को जरिये डाक प्रेषित की जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलयाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.02.2019 को जारी की गई।

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

[illegible]	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	00	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner